

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014(वित्त लेखे, खण्ड-I एवं खण्ड-II), हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (विनियोग लेखे), हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014(राज्य के वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014(राजस्व क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (v) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(vi) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

- (2) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित); और
- (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।
- (3) श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2011-12 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(ii) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(iii) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13) का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(ii) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(iii) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13) का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

4. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

- (1) श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़), नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामतः कुछेक सम्पर्क मार्गों का जनहित में शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (2) श्री महेश्वर सिंह (23-कुल्लू), प्रदेश के शेष बचे कुछेक नामतः जनजातीय क्षेत्रों को शीघ्रातिशीघ्र जनजातीय क्षेत्र घोषित करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (3) श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़), जिला सोलन के अन्तर्गत नालागढ़ क्षेत्र में बड़े उद्योगों को जनहित में स्थापित करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

5. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा :

श्री रणधीर शर्मा,

"दिनांक 20 मार्च, 2015 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1646 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

शिमला-171 004

दिनांक: 09 अप्रैल, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)